सं0–588/उन्तीस/04/2(53पे0)/2004

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक
उत्तरांचल जल संस्थान
देहरादून

पेयजल अनुभाग– देहरादूनः दिनांकः 3 अक्टूबर 2005

विषयः–ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 मे स्वीकृत पेयजल योजनाओं के अनुरक्षण हेतु द्वितीय किस्त की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपके पत्र संख्या –2241, दिनांक 20.08.2005, के सन्दर्भ में एंव शासनादेश संख्या 2708/उन्तीस/ 04/2(53पे0)/2004, दिनांक 13 दिसम्बर, 2004 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2004–05 में ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर के अंतर्गत जनपद नैनीताल के ग्रामीण पेयजल योजनाओं के सुदृढीकरण एवं मरम्मत हेतु उत्तरांचल जल संस्थान द्वारा प्रस्तावित योजनायें अनु0 लागत रू0 206.95 लाख के सापेक्ष उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 13 दिसम्बर, 2004 द्वारा उत्तरांचल जलसंस्थान को रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गई है। योजनाओं की अनु0 लागत रू0 206.95 लाख के विरूद्ध स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि रू0 106.95 लाख में से रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– स्वीकृत धनराशि मुख्य महाप्रबन्धक उत्तरांचल जलसस्थान के हस्ताक्षर एवं जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में वास्तविक आवश्यकतानुसार किस्तो में ही आहरित की जायेगी तथा आहरण के तुरन्त बाद धनराशि महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान को उपलब्ध कराते हुए आहरण से सम्बन्धित वाऊचर संख्या एंव दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को उपलब्ध कराई जाय।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.03.2006 तक पूर्ण उपयोग सुनिश्चित कर लिया जायें अन्यथा की स्थिति में सक्षम अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा।

4– योजनाओ हेतु स्वीकृत की जा रही समस्त धनराशि का पूर्ण उपयोग कर उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी।

क्रमशः..2..

5– अवशेष धनराशि तब ही अवमुक्त की जायेगी जब पूर्व स्वीकृत धनराशि से अनुरक्षण की जा रही योजनाओं का योजनावार धनराशिवार विवरण उपलब्ध करा दिया जाय।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बंध में शेष अन्य शर्तें उपरोक्त प्रस्तर–1 में सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 13 दिसम्बर, 2004 के अनुसार यथावत् रहेंगी।

7– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के अन्तर्गत अनुदान सं0–13 के लेखाशीर्षक "2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–आयोजनागत–102–ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम–03–ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर–00–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता" के नामें डाला जायेगा ।

8– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0–1603/XXVII(3)/2005 दिनांक 24 सितम्बर ,2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

सं0 588(1)/उन्तीस/05/2(53पे0)/2004, तद दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून ।
2.वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
3.मण्डलायुक्त कुमॉयू मण्डल,नैनीताल ।
4.जिलाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
5.महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान।(कुमायूँ) नैनीताल।
6.सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तरांचल जलसंस्थान ।
7.वित्त अनुभाग–3/वित्त(बजट सैल)/नियोजन अनुभाग, उत्तरांचल।
8.निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
9.निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
10.निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव